कार्यालय प्रधानाचार्य :: जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज :: कानपुर।

Tel.:+91-51272535483, E-mail : gsvm@yahoo.co.in, website : www.gsvmmedicalcollege.com

संख्या: 211 /जू0रे0–सी0रे0/छा0लि0–1 दिनांक: 20/06 2022

–: सेवायोजन विज्ञप्ति :–

इस चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में रेजीडेण्ट्स की कमी तथा एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 मानको को पूर्ण किये जाने तथा जनहित/रोगीहित/शोध कार्यो हेतु रिक्त निम्नांकित नान पी0जी0 जूनियर रेजीडेण्ट्स (वेतनमान रूपया 56100, लेवल–10 अन्य भत्ते) के पदों पर चयन की कार्यवाही दिंनाक–28.06.202 को साक्षात्कार के माध्यम से सम्पादित की जायेंगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षणिक अभिलेखों एवं एक प्रति स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित इस चिकित्सा महाविद्यालय के एल0टी0–2, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर मे वॉक इन इण्टरव्यू हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करे। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है :–

नान पी0जी0 जूनियर रेजीडेण्ट (वेतनमान रूपया 56100, लेवल–10 अन्य भत्ते)

क0	विशिष्ठता	रिक्तपदों की संख्या	अनारक्षित	अन्य पिछड़ावर्ग	अनुसूचितजाति	अनुसूचितजनजाति	आर्थिक रूप से कमजोर
1	ट्रामा सेन्टर	**10**	04	03	02	-	01
2	दन्त रोग	**07**	04	02	01	-	-
3	स्किन एण्ड वी0डी0	**04**	02	02	01	-	01
4	साइकेट्री	**04**	01	01	01	-	01
	योग	**25**	**11**	**08**	**05**	**00**	**03**

उक्त रिक्त नान पी0जी0 जूनियर रेजीडेण्ट के पदों का कार्यकाल अवधि अस्थायी एवं टेन्योर (सीमित अवधि) अधिकतम दिंनाक–30.06.2023 तक होंगा।

नियम एवं शर्ते :

- उक्त पदों हेतु इच्छुक अभ्यार्थियों को अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण–पत्रों एवं 02 नवीन फोटो, मेडिकल काउंसिल के स्थाई पंजीकरण सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों को आयु में शासकीय नियमानुसार छूट प्रदान की जायेंगी तथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय न होगा।
- चयनित अभ्यार्थियों को विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार विभाग के अतिरिक्त आकस्मिक विभाग में आकस्मिक कार्य भी करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था में कार्य कर रहे अभ्यार्थियों को उस संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। पदों की सख्या घट--बढ़ सकती है।
- शासनादेश संख्या–156/2018/2014(1)/71-1-2018-G-290/2017T.C.2 दिनांक:13 जून 2018, शासनादेश सख्या–3126/71–3–10–सी0एम0यू0–133/08, दिनांक–07 सितम्बर 2010, एवं शासनादेश संख्या–05/2016/10/71–1–2016–जी–309/2008, दिनांक–11 जनवरी 2016 में वर्णित प्रविधानों एवं नियमों के अन्तर्गत की जायेंगी।

प्रधानाचार्य
मेडिकलकालेज, कानपुर।

संख्या– 211 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

01. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
02. समस्त विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को अपने विभाग के नोटिस बोर्ड में लगवाने की व्यवस्था अपने स्तर से करें तथा साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।
03. कुलसचिव/ प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, लखनऊ/ सैफई,इटावा/ मेरठ/ आगरा/ इलाहाबाद/ झांसी/ गोरखपुर/ अम्बेडकर नगर/ कन्नौज /जालौन / बांदा/सहारनपुर/बदांयू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित

कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कार्यालय/छात्रावासो की नोटिस बोर्ड तथा कालेज की बेवसाइड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

04. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मेडिकल कालेज, कानपुर।

05. प्रभारी अधिकारी अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को समस्त मेडिकल कालेजों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

06. प्रभारी अधिकारी बेवसाइड, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कालेज की बेवसाइड पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

07. सूचना पट, कालेज/केन्द्रीय पुस्तकालय/छात्रावास, मेडिकल कालेज, कानपुर।

08. प्रधान लिपिक, अधिष्ठान/लेखा/कैशियर, मेडिकल कालेज, कानपुर।

प्रधानाचार्य
मेडिकलकालेज, कानपुर।